न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	36/2022	06.06.2022	02/25 (2025/2)	15.01.2025	22.12.2025	1 लगायत 4
2	07/2023	12.09.2023				

1. प्रेम पुत्र मंगल आयु 61 साल जाति माली
2. बाबूलाल पुत्र मंगल आयु 57 साल जाति माली
3. रमेश पुत्र मंगल आयु 54 साल जाति माली

समस्तयाण निवासी खानपुर बड़ोदा की ढाणी गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र बुद्धा आयु 64 साल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा की ढाणी गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. राजबाई पुत्री बुद्वा पत्नि कलुआ माली (मृतका)

2/1 कलुआ पुत्र बदरी माली निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2/2 हंसू पुत्र कलुआ माली निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2/3 कमलेश पुत्र कलुआ माली निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2/4 दिनेश पुत्र कलुआ माली निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2/5 रामकेश पुत्र कलुआ माली निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2/6 प्रहलाद पुत्र कलुआ माली निवासी हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2/7 धर्मो पत्नि रामसिंह पुत्री कलुआ माली निवासी अमरगढ चौकी तहसील गंगापुर सिटी।
2/8 लाली पुत्री कलुआ माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी।

3 रामप्यारी पुत्र बुद्वा पत्नि पूल्या निवासी खानपुर बडौदा की ढाणी गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी — रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री भानू कुमार सिघल
रेस्पोडेन्ट की ओर से :–विद्वान अभिभाषक श्री जुगल किशोर गर्ग

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

यह अपील तहसील गंगापुर सिटी के नामान्तक [illegible] /24 दिनांक 31.01.2019 वाके ग्राम खानपुर बडौदा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान [illegible] राजस्व अधिनियम, 1956 इस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 02/25 प्रेम व अन्य बनाम श्रीलाल व अन्य

न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 724 दिनांक 31.01.2019 ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम खानपुर बडौदा में रामी पत्नि स्व0 सुखचन्द्र हिस्सा पूर्ण की खातेदारी भूमि रामी पत्नि स्व0 सुखचन्द्र के फौत हो जाने पर वारिसानों का नामान्तकरण तस्दीक किया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्टान मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टान एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। अपीलार्थीगण के बुजुर्ग बदले के दो पुत्र हरबक्स व श्योबक्स हुये थे । हरबक्स के दो पुत्र छद्दू व हद्दू हुये जिनमे हद्दू नाऔलाद फौत हुआ तथा छद्दू के अपीलार्थीगण का पिता मंगल पैदा हुआ।इसी तरह श्योबक्स के भी दो पुत्र बुद्ध व सुखचन्द पैदा हुये । सुखचन्द नाऔलाद फौत हुआ तथा बुद्ध के रेस्पोडेन्टान पैदा हुये। उक्त सुखचन्द की पत्नि रामी थी जो सुखचन्द की मृत्यु के समय उसकी एक मात्र वारिस थी। अपीलार्थीगण का पिता मंगल अपने वाल्यकाल से ही उक्त रामी के साथ रहता था और रामी ने ही मंगल को अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। रामी के जायन्दा पुत्र व पुत्री जयराम व केसर की बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाने से रामी ने बैसाख सुदी तीज संवत 2010 यानि अक्षय तृतीया को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार व जातिगत रीति रिवाज के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता मंगल को गोद ले लिया और तभी से उक्त मंगल रामी के दत्तक पुत्र की हैसियत से उसके साथ रहता रहा है और रामी की जमीन जायदाद को संभालता रहा है। रामी की दिनांक 12–7–92 को मृत्यु हो गई। रामी की मृत्यु के बाद उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का एक मात्र वारिस अपीलार्थीगण का पिता मंगल ही रहा है जो उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज रहा है तथा रामी की काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 903 रकवा 37 ऐयर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा को भी लगातार काबिज होकर काश्त करता रहा है। मंगल की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण उक्त रामी की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर काबिज है। अपीलार्थीगण के पिता मंगल की मृत्यु दिनांक 29–9–2012 को होने के बाद अपीलार्थीगण ने अपनी दादी रामी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 903 रकवा 37 ऐयर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा का नामान्तकरण अपने हक मे खोलने बावत पटवारी हल्का से कहा तो पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारी दादी रामी ने हमारे पिता मंगल को जो गोद लिया था उसका आदेश न्यायालय से लेकर आओ तभी नामान्तकरण खुलेगा। जिस प[illegible] ने अपने पिता मंगल को उक्त रामी द्वारा गोद लिये जाने की घोषणा आदि अनतोष [illegible] न्यायालय अपर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायाधीश गंगापुर सिटी में दिनांक 23–2–2013 को पेश किया जो अभी अपर जिला न्यायाधीश क्रम 2 गंगापुर सिटी में मुन्तकिल होकर विचाराधीन है। उक्त दावे की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट नृजलाल की ओर से दिनांक 25–3–2022 को एक प्रार्थना पत्र के साथ एक जमाबन्दी की नकल पेश की जिससे अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्टान ने अपीलार्थीगण के उक्त दावे की कार्यवाही के दौरान गलत तरीके से व गुपचुप तरीके से वादीगण की दादी रामी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 903 रकवा 0.37 हेक्टर का नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 19–9–2019 को अपने हक मे खुलवा लिया है । नामान्तकरण संख्या 724 दिनांकित 31–1–2019 जो कि आराजी खसरा नम्बर 903 रकवा 0.37 हेक्टर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा तहत तहसील गंगापुर सिटी की बावत खोला गया है, की समस्त कार्यवाही कानून विरूद्व व पोशीदा होने के कारण अपास्त होने योग्य है । उक्त नामान्तकरण संख्या 724 जो कि रामी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 903 रकवा 0.37 हेक्टर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा की बावत गलत तरीके से खोला गया है, की कार्यवाही इस कारण भी गलत है कि जब रामी ने अपीलार्थीगण के पिता मंगल को वैसाख सुदी 3 संवत 2010 को ही गोद ले लिया था और गोद की घोषणा का दावा भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर रामी की आराजीयात का नामान्तकरण किसी अन्य के हक मे खोला ही नहीं जाना चाहिए था तथा नामान्तकरण की कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सूचित करते हुये सुना जाना चाहिए। मगर रेस्पोडेन्टान ने उक्त नामान्तकरण की तमाम कार्यवाही पोशीदा तरीके से अपीलार्थीगण को अनभिज्ञ रखते हुये की है। इस कारण भी उक्त कार्यवाही अपास्त होने योग्य है । रामी की खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 903 रकवा 0.37 हेक्टर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा पर मौके पर कब्जा भी रामी के समय से ही अपीलार्थीगण के पिता का व अपीलार्थीगण का लगातार चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टान का कोई कब्जा आज तक उक्त आराजी पर कभी नहीं रहा है। ऐसे मे मौके की कब्जे बावत रिपोर्ट लेनी चाहिए थी मगर उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही मे मौके की कब्जा रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई गई है। और रेस्पोडेन्टान का कोई कब्जा काश्त नही होते हुये भी रामी की उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट्स के हक मे खोलने में कानूनी भूल की है। इस कारण भी उक्त नामान्तकरण की तमाम कार्यवाही अपास्त होने योग्य है । नामान्तकरण की कार्यवाही के समय इस बात की भी जाँच नहीं की गई कि रेस्पोडेन्टान उक्त रामी के अपने आपको वारिस किस आधार पर बता रहे है। जबकि रेस्पोडेन्टान उक्त रामी के किसी तरह कोई वारिसान नहीं है। इस तरह बिना जाँच किये ही रामी की विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्टान के हक मे गलत तरीके से खोला गया है। इस कारण भी उक्त नामान्तकरण की समस्त कार्यवाही अपास्त होने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 724 दिनांक 31.01.2019 वाके ग्राम खानपुर बडौदा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया है कि अपीलार्थी जिस गोदनामा का कथन अपनी अपील में अंकित किया है। वह गोदनामा सिविल न्यायालय द्वारा नहीं माना गया है तथा न्यायालय अपर जिला न्यायधीश सं0 2 गंगापुर सिटी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 21/2021 (31/13) उनवान प्रेम व अन्य बनाम श्रीलाल व अन्य दावा बावत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील अपीलार्थी स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 724 दिनांक 31.01.2019 वाके ग्राम खानपुर बडौदा यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील /बहस में कथन किया है कि अपीलार्थीगण का पिता मंगल अपने वाल्यकाल से ही उक्त रामी के साथ रहता था और रामी ने ही मंगल को अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। रामी के जायन्दा पुत्र व पुत्री जयराम व केसर की बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाने से रामी ने बैसाख सुदी तीज संवत 2010 यानि अक्षय तृतीया को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार व जातिगत रीति रिवाज के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता मंगल को गोद ले लिया है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा किसी गोदनामा की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि वादीगण (अपीलार्थी) ने अपने पिता मंगल को उक्त रामी द्वारा गोद लिये जाने की घोषणा आदि अनुतोष का एक दावा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी में पेश कर रखा है। उक्त कम में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपर जिला न्यायाधीश सं0 2 गंगापुर सिटी दावा सं0 21/2021 (31/13) उनवान प्रेम व अन्य बनाम श्रीलाल व अन्य निर्णय दिनांक 26.11.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार वादीगण (अपीलार्थी) द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण सं0 724 दिनांक 31.01.2019 वाके ग्राम खानपुर बडौदा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:04 IST
Reason: SelfAttested